

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 1981/कार्तिक 18, 1903
No. 502] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 9, 1981/KARTIKA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1981

का. आ. 792(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 325(अ), तारीख 18 मई, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,

- (1) “सदस्य (अंतर्कालिक)” शीर्षक के नीचे मद 2 और उससे संबंधित प्राविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- (2) "मदस्य (वित्त) (पूर्णकालिक)" शीर्षक के नीचे, मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

टिप्पण —प्रधान आदेश सं. ङा.आ. 325(अ), तारीख 18 मई, 1979 का (1) का.आ. 69(अ), तारीख 5-2-1979, (2) का.आ. 151(अ), तारीख 21-3-1979 (3) का.आ. 324(अ), तारीख 11-9-1979 (4) का.आ. 233(अ) तारीख 31-1-1980, (5) का.आ. 337(अ), तारीख 5-6-80 (6) का.आ. 777 तारीख 12-9-1980, (7) का.आ. सं. 942(अ), तारीख 5-12-80, (8) का.आ. 520(अ), तारीख 29-6-1981 द्वारा संशोधन किया गया है ।

[फा. सं. 4(1)/77-सीयूएस]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 1981

S.O. 792(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby make the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325(E) dated the 18th May, 1978, namely :—

In the said Order :

- (i) under the heading "Member (Part time)", item 2 and the entries relating thereto shall be omitted.
- (ii) under the heading "Member (Finance) (Full-time)", item 6 and the entries relating thereto shall be omitted.

NOTE :—The principal order S.O. 325(E) dated the 18th May 1978 has been amended vide (i) S.O. 69(E) dated 5-2-1979 (ii) S.O. 151(E) dated 21-3-1979 (iii) S.O. 524(E) dated 11-9-1979 (iv) S.O. 233(E) dated 31-3-1980 (v) S.O. No. 387(E) dated 5-6-1980 (vi) S.O. 777(E) dated 12-9-1980 (vii) S.O. No. 941(E) dated 5-12-1980 (viii) S.O. 520A(E) dated 29-6-1981

[F. No. 4(1)/77-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.